दिनांक 09.06.2025
प्रेस विज्ञप्ति 12/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

इंस्टाग्राम पर आत्महत्या संबंधी पोस्ट का संज्ञान लेकर तत्काल पोस्ट अपलोड करने वाले युवक की जीवनरक्षा हेतु की गई काउंसलिंग

दिनांक 09–06–2025 को जनपद लखनऊ के थाना सरोजनी नगर निवासी लगभग 19 वर्षीय युवक द्वारा **"मेरी मौत सुबह 05:00 बजे ट्रेन से होने वाला है"** यह टेक्स्ट लिखकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया गया । उक्त पोस्ट के संबंध में दिनांक 08/09–06–2025 की रात्रि 03:03 बजे मेटा कंपनी की तरफ से मुख्यालय पुलिस महानिदेशक स्थित सोशल मीडिया सेन्टर को ई–मेल के ज़रिए अलर्ट प्राप्त हुआ। जिसका तत्काल संज्ञान लेकर उच्चाधिकारियों को संज्ञानित कराया गया ।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, श्री राजीव कृष्ण द्वारा उक्त अलर्ट पर तत्काल कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। मेटा कम्पनी द्वारा भेजे गये अलर्ट का संज्ञान लेकर मुख्यालय की सोशल मीडिया सेन्टर द्वारा प्राप्त अलर्ट में उपलब्ध कराये गये मोबाइल नम्बर के आधार पर तत्काल युवक की लोकेशन की जानकारी करके कमिश्नरेट लखनऊ को प्रकरण से अवगत कराया गया।

मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना एवं लोकेशन पर थाना सरोजनीनगर के उ0नि0 05 मिनट के अन्तराल में युवक के घर पहुंच गए, किन्तु युवक के घर पर नहीं मिलने पर परिजनों के साथ ढूँढने पर युवक रेलवे ट्रैक को जाने वाले रास्ते पर मिला, जिसे रास्ते से वापस घर लाकर काफी समझा बुझाकर आत्महत्या करने से रोका गया । युवक के सामान्य होने पर उपनिरीक्षक द्वारा जानकारी किए जाने पर उसके द्वारा बताया गया कि वह कक्षा 12 का छात्र है, तथा उसके द्वारा आनलाइन क्लास की जाती है, छात्र के पास 4जी फोन है जिस पर इन्टरनेट न चल पाने के कारण उसकी ठीक से पढ़ाई नही हो पा रही थी । अतः छात्र द्वारा परिजनों से 5जी फोन दिलाने की मांग की

जा रही थी, इसके अतिरिक्त बड़े भाई से बाइक मांगी गयी तो उन्होने भी बाइक देने से मना कर दिया । इसी बात से नाराज होकर क्रोध एवं आवेश में आकर उसके द्वारा यह कदम उठाया जा रहा था। स्थानीय पुलिस द्वारा समय से पहुँच कर परिजनों के सहयोग से युवक को आत्महत्या करने से रोका गया एवं काउंसलिंग की गयी, जिस पर युवक द्वारा भविष्य में ऐसी गलती नहीं करने का आश्वासन दिया गया। युवती के परिजनों द्वारा स्थानीय थाने के पुलिसकर्मियों की तत्परता तथा उनके सहयोग हेतु उ0प्र0 पुलिस को धन्यवाद दिया गया।

उत्तर प्रदेश पुलिस एवं मेटा कम्पनी के मध्य 2022 से प्रचलित व्यवस्था के अंतर्गत यदि कोई भी व्यक्ति फेसबुक अथवा इंस्टाग्राम पर आत्महत्या किए जाने से सम्बंधित पोस्ट करता है तो ऐसी पोस्ट के सम्बंध में मेटा कम्पनी द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस को ई–मेल एवं फोन के माध्यम से अलर्ट भेजकर सूचित किया जाता है। दिनांक 01–01–2023 से 31–05–2025 के मध्य आत्महत्या संबंधी पोस्ट पर प्राप्त अलर्ट का संज्ञान लेकर **कुल 986** व्यक्तियों के प्राणों की रक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा की जा चुकी है।

जनपद शामली/थाना कोतवाली शामली

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **पुलिस कार्यवाही में 05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 10 लाख रूपये नगद**
- **02 अवध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 वैगनार कार आदि बरामद**

दिनांक 08.06.2025 को थाना कोतवाली शामली व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अभियुक्त 1–अमरजीत 2–गुलशन 3–रवि को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के निशादेही पर जगनपुरा पुलिया के पास चेकिंग के दौरान बदमाशों की घेराबन्दी की गई तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 4–मोहित 5–शुभम उर्फ गौरव घायल हो गये, जिन्हे गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 10 लाख रूपये नगद, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 वैगनार कार आदि बरामद हुए। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 03.06.2025 को थाना कोतवाली शामली क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया उक्त घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अमरजीत निवासी ग्राम बन्थला थाना लोनी कमिश्नरेट गाजियाबाद।

2–गुलशन निवासी सेक्टर–4 वैशाली थाना कौशाम्बी कमिश्नरेट गाजियाबाद।

3–रवि निवासी थाना लोनी कमिश्नरेट गाजियाबाद।

4—मोहित निवासी ग्राम भेडापुर थाना चांदीनगर जनपद बागपत।

5—शुभम उर्फ गौरव निवासी ग्राम भेडापुर थाना चांदीनगर जनपद बागपत।

बरामदगी

1—लूट के 10 लाख रूपये नगद।

2—02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

3—घटना में प्रयुक्त 01 वैगनार कार आदि।

जनपद सिद्धार्थनगर/थाना चिल्हिया

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 08/09.06.2025 को थाना चिल्हिया, थाना मोहाना व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम गोपीजोत पक्की सड़क पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना चिल्हिया पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना चिल्हिया पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अकबर उर्फ गूठे निवासी ग्राम गोपीजोत थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना सेक्टर—24

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 01 चार पहिया, 05 दो पहिया वाहन**
- **लॉक खोलने के 02 डिवाइस, 10 चाबी, 06 नम्बर प्लेट, 03 ईसीएम व चोरी करने के उपकरण आदि बरामद**

दिनांक 08.06.2025 को थाना सेक्टर—24 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान सेक्टर—11 से सेक्टर—56 की तरफ जाने वाले रास्ते से 02 अभियुक्तों

1—अनिल उर्फ अनीश 2—राजू उर्फ योगेश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 01 चार पहिया, 05 दो पहिया वाहन, लॉक खोलने के 02 डिवाइस, 10 चाबी, 06 नम्बर प्लेट, 03 ईसीएम व चोरी करने के उपकरण आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिनके विरूद्ध जनपद मुरादाबाद, मथुरा, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर, आगरा, गाजियाबाद व दिल्ली के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 22 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना सेक्टर—24 पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अनिल उर्फ अनीश निवासी सहकारी नगर थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर।

2—राजू उर्फ योगेश निवासी संजय नगर थाना रानीपुर जनपद हरिद्वार उत्तराखण्ड।

बरामदगी

1—चोरी की 01 चार पहिया, 05 दो पहिया वाहन।

2—लॉक खोलने के 02 डिवाइस, 10 चाबी, 06 नम्बर प्लेट, 03 ईसीएम व चोरी करने के उपकरण आदि।

- **जनपद फतेहगढ़/थाना कोतवाली फतेहगढ़ (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 10 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 73—73 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद फतेहगढ़ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद फतेहगढ़ द्वारा थाना कोतवाली फतेहगढ़ पर पंजीकृत अभियोग में धारा 147/148/307/302/149 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1—अरविन्द 2—गोविन्द 3—महेन्द्र 4—रामवीर 5—गोपाल 6—समर सिंह उर्फ समरे 7—अनिरूद्ध 8—शिवेन्द्र 9—धीरेन्द्र 10—सरविन्द को आजीवन कारावास व 73—73 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बाराबंकी/थाना बदोसराय (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 06 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 10–10 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बाराबंकी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बाराबंकी द्वारा थाना बदोसराय पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/149 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–हरिश्चन्द्र 2–विनोद 3–लल्लन उर्फ प्रेमचन्द्र 4–पप्पू उर्फ दीपचन्द्र 5–पिन्टू उर्फ अरूण कुमार 6–उत्तम उर्फ जयनरायन को आजीवन कारावास व 10–10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

————